

शहरी क्षेत्रों में निजी कार्यालयों को खोलने हेतु स्वघोषणा पत्र

- 1- फर्म का नाम.....
.....
- 2- फर्म का पूर्ण पता.....
.....
- 3- सम्बन्धित थाने का नाम (अनिवार्य).....
- 4- फर्म के प्रोपराइटर का नाम
- 5- प्रोपराइटर का मोबाइल नं0.....
- 6- प्रोपराइटर की ई-मेल आईडी0.....
- 7-फर्म में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या
- 8- फर्म में कार्य हेतु बुलाये जा रहे श्रमिकों की संख्या (कुल श्रमिकों का अधिकतम 33 प्रतिशत तक)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा स्वघोषणा पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरा कार्यालय कन्टैमेन्ट क्षेत्र के बाहर स्थित है। मेरे द्वारा सरकार तथा प्रशासन के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु दिये गये सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

नोट- कार्य पर बुलाये जा रहे श्रमिकों हेतु निजी कार्यालयों द्वारा स्वयं जारी की गयी आफिस आईडी0 पर्याप्त है तथा अन्य किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है।

भरा हुआ फार्म ई-मेल adllcupgz@gmail.com पर ही भेजे। अनुमति की आवश्यकता नहीं है।